



2026:AHC:30684

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2794/2026

मनोज कुमार गुप्ता उर्फ बबलू

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : कृति गुप्ता, राम कृष्ण यादव

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दीपक गौर

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील कालपी, जनपद जालौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2025 पूर्णतः एक सकारण आदेश नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि उक्त आदेश इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 'ऋषिपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य', 2023 (1) एडीजे 154 के मामले में प्रतिपादित विधि के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया है। यह तर्क दिया गया कि मामले के उपरोक्त पहलू पर विचार किए बिना, याची द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 की उप-धारा (5) के तहत दायर वैधानिक अपील को प्रतिवादी संख्या 2/कलक्टर जालौन द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2025 के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

2. मामला विचारणीय है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है। श्री दीपक गौर, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है।

4. याचिका स्वीकार की जाती है।

5. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है। उसके पश्चात एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया जा सकता है।

6. तत्पश्चात सूचीबद्ध करें। इस न्यायालय के अगले आदेश तक, प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील कालपी, जनपद जालौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2025 तथा प्रतिवादी संख्या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2/कलक्टर जालौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 का प्रभाव और क्रियान्वयन स्थगित रहेगा।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

सकलेन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"